

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

[केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड]

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, तारीख 5 फरवरी, 2019

सा.का.नि..... (अ).- भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्याक सा.का.नि. 63(अ), तारीख 29 जनवरी, 2019 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 03/2019-केन्द्रीय कर, तारीख 29 जनवरी, 2019, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:--

- i. पृष्ठ 6 की पंक्ति 11 में "अपेक्षा नहीं होगी" के स्थान पर "अपेक्षा होगी" पढ़ें;
- ii. पृष्ठ 6 की पंक्ति 16 में "अपेक्षा नहीं होगी" के स्थान पर "अपेक्षा होगी" पढ़ें;
- iii. पृष्ठ 6 की पंक्ति 23 में "अनुदेश 12 में, "कारबार शीर्ष" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "कारबार के स्थान" के स्थान पर "अनुदेश 12 में, "कारबार शीर्ष" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "कारबार के स्थान" तथा "शीर्ष" शब्द के स्थान पर, "कारबार के स्थान" पढ़ें;
- iv. पृष्ठ 6 की पंक्ति 30 में शब्दों "टिप्पण : (तारीख) से आपका रजिस्ट्रेशन निलंबित किया जाता है ।" के स्थान पर "टिप्पण : (तारीख) से आपका रजिस्ट्रेशन निलंबन हटाया जाता है।" शब्द पढ़ें;
- v. पृष्ठ 11, पैरा 28 की पंक्ति 8 में "विवादित स्वीकृत कर" के स्थान पर "विवादित कर" पढ़ें ।

[फा0 सं0 20/06/16/2018-जीएसटी (भाग I)]

(गुंजन कुमार वर्मा),
अवर सचिव, भारत सरकार